न्यायालय बईजलास रागिनी डामोर आर.ए.एस सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़(राज0)

दावा संख्या :– 76/2016

श्रीमती काली बाई पत्नी मोहनलाल जी जाति बैरवा आयु बालिग निवासी सबलपुरा, तहसील व जिला भीलवाड़ा हा.मु. आंकोड़िया, तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान .....वादीया

बनाम

1 बन्शीलाल पिता भग्गा जाति बंजारा आयु बालिग निवासी आंकोड़िया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.
2 तेजु पिता नाथू बंजारा आयु बालिग निवासी आंकोड़िया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.
3 हरला पिता भग्गा जाति बंजारा आयु बालिग निवासी आंकोड़िया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.
4 श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.
5 श्रीमान् शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा प्रबंधक राजगढ़ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित : श्री अशोक शर्मा निर्णय दिनांकः:– 19.12.2017

अधिवक्ता वादीया

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राज. टिनेन्सी एक्ट

वादीया की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट अंतर्गत आदेश 7 नियम 1, 2 जा.दी. का वकील वादीया श्री अशोक शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन निम्न प्रकार से किया है किः–

यह कि मौजा ग्राम आंकोड़िया प.ह. इटावा तहसील बेगूँ के जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता खतौनी संख्या 25 में कृषि आराजी संख्या 228/214 किता एक कुल रकबा 0.7280 है0 भूमि वादीया के खातेदारी एवं कब्जे स्वामित्व की राजस्व रेकार्ड में स्थित है, जिस पर वादीया निरंतर निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है और लगान भी बराबर जमा करा रही है, जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक व दखल नहीं है व संपूर्ण मालिकाना अधिकार वादीया का है। वादीया अपने खातेदारी की कृषि आराजी पर स्वतंत्र रूप से काश्त कर अपनी कृषि उपज, कृषि उपकरण, फसल इत्यादि कदीमी रास्ता के सुखाधिकार अनुसार ला ले जाती रही है।

यह भी निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक ने दिनांक 11.05.2016 को सायंकाल कृषि कार्य हेतु गयी हुई वादीया से भारी विवाद किया और ऐलानिया धमकियाँ दी कि इस जमीन को हम जबरन छीन कर रहेंगे तथा आज के बाद इस जमीन पर कदम भी रखा तो जान से खत्म करवा देंगे, ना तो इस जमीन में खेती करने देंगे और ना ही इस रास्ते में निकलने देंगे। वक्त घटना हीरापिता घासी जी भील निवासी आंकोड़िया आदि ने बीच–बचाव किया। उक्त घटना की वादीया द्वारा श्रीमान् कार्यपालक मजिस्ट्रेट सा. बेगूँ के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसकी कार्यवाही जैर कार्यवाही है। लेकिन प्रतिवादीगण कभी भी पुनः इस प्रकार का कृत्य कर वादीया को नुकसान कारित कर सकते हैं। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति से पाबंद किये जाने हेतु यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। वादीया द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 तक को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है कि वादीया की खातेदारी की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में व आराजी पर आने–जाने वाले कदीमी रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध ना तो स्वयं उत्पन्न करें और ना ही अपने किसी नौकर, एजेंट, रिश्तेदार आदि से करावें। चूँकि आराजी जैर बहस पर प्रतिवादीगण का ना तो कोई हक अधिकार है और ना ही किसी प्रकार का हित निहित है। आराजी का एकमात्र मालिक खातेदार वादीया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीया का वादपत्र स्वीकार फरमा निम्न अनुतोष की डिक्री वादीया के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावे :–

कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित वादीया की खातेदारी की कृषि आराजीयात के लिए इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति प्रदान करायी जावे कि वादीया के उक्त कृषि आराजीयात व आराजी पर आने–जाने की कदीमी रास्ते में किसी प्रकार विघ्न, अवरोध प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक किसी प्रकार से ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी नौकर, एजेंट, रिश्तेदार आदि से करावें, इस आशय से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 तक को पाबंद किये जाने की डिक्री प्रदान करायी जावे। क्रमश : 2

कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादीया हो, विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावे।

कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादीया को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावे।

उक्त वाद पत्र वादीया का न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री राजसिंह चूँडावत द्वारा अधिकारपत्र पेश किया गया एवं हिदायत पैरवी नहीं किया जाना जाहिर किया है एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर अनापत्ति जाहिर की गयी है। प्रतिवादी संख्या 4 भूमिधारी आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये हैं तथा प्रतिवादी संख्या 5 शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक राजगढ़ बैंक में रहन होने से पक्षकार बनाये गये हैं। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। वादीया की ओर से वकील श्री अशोक शर्मा द्वारा एकपक्षीय बहस हमारे द्वारा सुनी जाकर पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। वादीया वाद वर्णित कृषि आराजीयात की खातेदार होने से विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने की अधिकारिनी है।

अतः वाद वादीया का अंतर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण संख्या 1 से 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा ग्राम आंकोड़िया प.ह. इटावा तहसील बेगूँ के जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता खतौनी संख्या 25 में कृषि आराजी संख्या 228/214 किता एक कुल रकबा 0.7280 है0 भूमि में एवं उक्त आराजीयात के साथ ही आराजी में आने–जाने के कदीमी रास्ते में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 किसी प्रकार का विघ्न, अवरोध ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी नौकर, एजेंट, रिश्तेदार आदि से करावें।

यह निर्णय आज दिनांक 19/12/2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(रागिनी डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखंड अधिकारी), बेगूँ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बेगूँ, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज॰)

दावा संख्या :– 76/2016

श्रीमती काली बाई पत्नी मोहनलाल जी जाति बैरवा आयु बालिग निवासी सबलपुरा, तहसील व जिला भीलवाड़ा हा.मु. आंकोड़िया, तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान .....वादीया

बनाम

1 बन्शीलाल पिता भग्गा जाति बंजारा आयु बालिग निवासी आंकोड़िया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.
2 तेजु पिता नाथू बंजारा आयु बालिग निवासी आंकोड़िया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.
3 हरला पिता भग्गा जाति बंजारा आयु बालिग निवासी आंकोड़िया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.
4 श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.
5 श्रीमान् शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा प्रबंधक राजगढ़ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.

.....प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा की उपस्थिति में इस वाद पत्र अ0धा0 188 आर0टी0 एक्ट का आज तारीख 19/12/2017 को उपखंड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम डिक्री निपटारे के लिए पेश होने पर अंतिम डिक्री के आदेश निम्नानुसार दिये जाते हैं:–

अतः वाद वादीया का अंतर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण संख्या 1 से 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा ग्राम आंकोड़िया प.ह. इटावा तहसील बेगूँ के जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता खतौनी संख्या 25 में कृषि आराजी संख्या 228/214 किता एक कुल रकबा 0.7280 है0 भूमि में एवं उक्त आराजीयात के साथ ही आराजी में आने–जाने के कदीमी रास्ते में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 किसी प्रकार का विघ्न, अवरोध ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी नौकर, एजेंट, रिश्तेदार आदि से करावें।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 19/12/2017 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर से जारी की गयी।

(रागिनी डामोर)
सहायक कलेक्टर
(उपखंड अधिकारी), बेगूँ

Web Copy - Not Official